



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2011/वैशाख 6, 1933

No. 672]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2011/VAISAKHA 6, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2011

का.आ. 789(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 29 सितम्बर, 2010 की का.आ.सं. 2352(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

I. कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली के जोन-डी के दक्षिण में स्थित 27.97 हेक्टेयर क्षेत्र माप के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, जोन-डी के दक्षिण में	27.97 हेक्टेयर	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक (पी एल पी)	मनोरजनात्मक (पी-1, क्षेत्रीय पार्क)	उत्तर- कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र दक्षिण- क्षेत्रीय पार्क पूर्व - कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र पश्चिम- जे एन यू रोड

II. कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली के जोन-जे के दक्षिण में स्थित 20 हेक्टेयर क्षेत्र माप के निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को (विद्यमान एम.जी.रोड के साथ प्रस्तावित एम.जी.रोड के साथ प्रस्तावित 80.0 मीटर आर / डब्ल्यू अर्थात 3.39 हेक्टेयर के क्षेत्र को छोड़कर) नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
महरोली महिपालपुर रोड, जोन जे के दक्षिण में (विद्यमान एम जी रोड क्षेत्र के साथ प्रस्तावित एम जी रोड के साथ प्रस्तावित 80.0 मीटर आर / डब्ल्यू अर्थात 3.39 हेक्टेयर क्षेत्र को छोड़कर)	(क) 4.80 हेक्टेयर (ख) 8.90 हेक्टेयर (ग) 6.30 हेक्टेयर योग: (क) + (ख) + (ग) = 20 हेक्टेयर	मनोरजनात्मक (पी-1 क्षेत्रीय पार्क) मनोरजनात्मक (पी-1 क्षेत्रीय पार्क) मनोरजनात्मक (पी-1 क्षेत्रीय पार्क)	परिवहन मनोरजनात्मक (पी-11 जिला पार्क) रिहायशी	उत्तर- महरोली महिपालपुर रोड दक्षिण तथा पश्चिम - एम पी डी 2021 में उल्लिखित मौजूदा भू-उपयोग प्लान के अनुसार क्षेत्रीय पार्क की सीमाओं के अनुसार पूर्व - महरोली गुडगांव रोड तथा भाटी माइन रोड

[फा. सं. के-12011/21/2009-डी डी आई बी]

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2011

**S.O. 789(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2352(E) dated 29<sup>th</sup> September, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.



**Modification :**

- I. The land use of the following area admeasuring 27.97 Ha. situated at South of Qutab Institutional Area, New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
South of Qutab Institutional Area, Zone-F	27.97 Ha.	'Public & Semi-Public (PSP)	'Recreational (P-1, Regional Park)'	North - Qutab Institutional Area South - Regional Park East - Qutab Institutional Area West - J.N.U. Road

- II. The land use of the following area admeasuring 20 Ha. situated at South of Mehrauli-Mahipalpur Road, New Delhi falling in Zone-J (excluding area of existing M.G. Road with proposed M.G. Road with proposed 80.0 mt. R/W i.e. 3.39 Ha.) is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
South of Mehrauli Mahipalpur Road Zone-J (excluding area of existing M.G. Road with proposed M.G. Road with proposed 80.0 mt. R/W i.e. 3.39 Ha)	(a)4.80 Ha (b)8.90 Ha (c)6.30 Ha Total- (a)+(b)+(c) = 20 Ha.	'Recreational (P-1 Regional Park)' 'Recreational (P-1 Regional Park)' 'Recreational (P-1 Regional Park)'	'Transportation' 'Recreational (P-2 District Park)' 'Residential'	North- Mehrauli-Mahipalpur Road South & West - Boundaries of Regional Park as per the existing Land Use Plan contained in MPD-2021 East - Mehrauli-Gurgaon Road & Bhatti Mines Road

[F. No. K-12011/21/2009-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.